Concession Certificate for Persons with Disabilities(Divyangian)

Concession certificate form for orthopaedically handicapped/paraplegic person/patients/mentally retarded person/ person with visual impairment with total absence of sight/ person with hearing and speech impairment totally(both afflictions together in the same person)

Paste passport size photograph Duly signed and stamped by the issuing Doctor

This is to certify that Km/Shri/Smt.	whose particulars are furnished below is a
bonafide ORTHOPAEDICALLY HANDICA	APPED/ PARAPLEGIC PERSON/ PATIENTS WHO
CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSIS	STANCE OF AN ESCORT / MENTALLY RETARDED
PERSON WHO CANNOT TRAVEL W	ITHOUT AN ESCORT/ PERSON WITH VISUAL
IMPAIREMENT WITH TOTAL ABSENCE	OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH
	IONS TOGETHER IN THE SAME PERSON)*
Particulars:	
a) Address:	
b) Father's/Husband's Name:	
c) Age:	
d) Sex:	
e) Nature of Handicap: (To be written by	doctor whether the
disability is temporary or permanent) :_	
f) Signature or thumb impression	
of the person seeking concession (not n	occupants for those with
both hands missing or non-functional): _	
	(6)
	(Signature of Government Doctor#)
Place:	
Date:	
2.00	
Clear seal of Government Hospital#	Seal containing full name and
	Registration Number of the Doctor#

*Strike out where not applicable.

#For PERSON WITH VISUAL IMPAIREMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT, RMP/Head of institution for the blind recognized can also issue certificate for visual impairment (with total absence of sight).

- 1) The certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/ PARAPLEGIC PERSON/ PATIENTS WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT / MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT/ PERSON WITH VISUAL IMPAIREMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER). The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partly on the photo and partly on the certificate.
- 2) For mentally retarded person/ PERSON WITH VISUAL IMPAIREMENT WITH TOTAL ABSENCE OF SIGHT / PERSON WITH HEARING AND SPEECH IMPAIRMENT TOTALLLY (BOTH AFFLICTIONS TOGETHER), the certificate will be valid for five years from the date of issue. For temporary disability in the case of orthopaedically/ paraplegic persons, the certificate will be valid for 5 years and in case of permanent disability, the certificate will remain valid for (i) five years, in case of persons upto the age of 25 years, (2) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (3) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerned persons. After expiry of the period of validity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
- 3) Photocopy of this certificate is accepted for the purpose of grant of concession. The original certificate will have to be produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during the journey, if demanded.
- 4) No alternation in the form is permitted.

दिव्यांगजन के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से दिव्यांगजन/अधरंग व्यक्ति/मरीजों/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति/पूर्ण रूप से दृष्टिहीनता वाले व्यक्ति/पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति(एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ) के लिए रियायती प्रमाणपत्र संबंधी फार्म

जारी करने वाले डॉक्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किया गया एवं मोहर लगाया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

यह	प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती		जिसक	विवरण नीचे दिया गया है
	में अस्थि विकृति से दिव्यांग/अधरंग व्यक्ति/मरीज है, जो बिना किस			
रूप से	कमजोर व्यक्ति है, जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता। पूर्ण	रूप से दृष्टिही	न व्यक्तिहै/	पूर्ण रूप से श्रवण और वाक
हीन ट्य	क्ति है(एक ही व्यक्ति में दोनों अक्षमताएं एक साथ)*	•	•	
विवरण:				
क)	पता :		**************************************	
ख)	पिता/पति का नाम :		الله الله الله الله الله الله الله الله	
ग)	आयु :			
घ)	लिंग :			
ਭ)	दिव्यांगता किस प्रकार की है: (डॉ. द्वारा लिखा जाए कि अक्षमता अ	स्थायी या स्थ	ायी है)	
ਚ)	रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अगूठे का निशान (जि			
लिए आ	वश्यक नहीं):			,
	•			(सरकारी डॉ. के हस्ताक्षर #)
स्थान: -				
दिनांक:-				
सरकारी	अस्पताल की स्पष्ट मोहर #	मोहर में डॉ. क	ग पूरा नाम 3	गैर रजिस्ट्रेशन सं. #

- जहां लागू नहीं हो उसे काट दें।
- # पूर्ण दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए, आरएमपी/नेत्रहीनों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान भी दृष्टिदोष के लिए (पूर्ण दृष्टिहीनता के साथ) प्रमाणपत्र जारी कर सकता है।
- 1) यह प्रमाणपत्र केवल अस्थि विकृति से दिव्यांग/अधरंग व्यक्ति/मरीज जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता/मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति, जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/ पूर्ण रूप से हिण्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्ति (दोनों अक्षमताएं), को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकारलगी होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर आंशिक रूप से एक साथ फोटो पर और आंशिक रूप से प्रमाणपत्र पर हो।
- 2) मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों/ पूर्ण रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति/ पूर्ण रूप से श्रवण और वाक हीन व्यक्तियों (दोनों अक्षमताएं एक साथ), के लिए यह प्रमाण पत्र जारी की गई तारीख से पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। अस्थि विकृति से दिव्यांग और अधरंग व्यक्तियों के मामले में अस्थायी अक्षमता के लिए यह प्रमाणपत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाणपत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (2) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (3) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है।
- 3) रियायत देने के लिए इस प्रमाण पत्र की फोटोप्रति भी स्वीकार की जाएगी। मूल प्रमाणपत्र रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के दौरान, यदि मांगा जाता है, प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- इस फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमित नहीं है।